न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश शर्मा, आई.ए.एस.

विभागीय अपील संख्या 04 / 2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
राघेश्याम प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी, बाडमेर हाल– प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी, कोटा।		जिला कलेक्टर, बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत जिला कलक्टर बाडमेर के आदेश क्रंमाक प. 1()(1) कार्मिक / 2020 / 1395 दिनांक 24.02.2021 को पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलान्ट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया।

उपस्थितिः––

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार जिला रसद अधिकारी, बाडमेर उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः .जुलाई,2021

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 17 के तहत अपीलान्ट की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने बाबत पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 के विरूद्ध राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 26.03.2021 को प्रस्तुत की गई है।

2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर बाडमेर से अपील पर टिप्पणी एवं उनके कार्यालय का मूल अभिलेख तलब किया गया तथा सम्बन्धित पक्षकारान को नोटिस जारी किया गया।

3. अपीलान्ट कार्मिक एवं विभागीय पैरोकार को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलान्ट कार्मिक ने दौरान सुनवाई मुख्य रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी, कोटा कार्यालय में पदस्थापित है। अपीलार्थी प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद अधिकारी कार्यालय बाडमेर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान अपीलार्थी पर जिला कलेक्टर कार्यालय बाडमेर के पत्रांक 7091 दिनांक 28.09.2020 को यह आरोप आरोपित किया गया किः––

यह है कि श्री राधेश्याम के प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बाडमेर में पदस्थापित रहने के दौरान श्री ओमप्रकाश/चिमाराम उचित मूल्य दुकानदान विशाला आहोर के निलम्बन पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बोला व विशाला आगोर की दूरी 03 कि0मी0 निलम्बित उचित मूल्य दुकान व वैकल्पिक उचित मूल्य दुकान दोनों के एक ही ग्राम पंचायत में होना तथा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु नियुक्त उचित मूल्य दुकान के पास पूर्व में कोई अतिरिक्त दुकान नहीं होना बताते हुए श्री चतुराराम/चिमाराम उचित मूल्य दुकानदार बोला को दिये जाने की अनुशंसा की गई। वास्तव में उक्त दोनों उचित मूल्य दुकाने अलग–अलग ग्राम पंचायत में स्थित है तथा दोनों के मध्य की दूरी लगभग 15 कि0मी0 है। इसप्रकार श्री राधेश्याम द्वारा मौका स्थिति की जानकारी किये बिना, कार्यालय में बैठे–बैठे, गलत तथ्य पेश करते हुए उचित मूल्य दुकान बिशाला आगोर की वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर उचित मूल्य दुकान बोला के नाम की अनुशंसा की गई। आपका यह कृत्य कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने की श्रेणी में आता है।

4. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि के द्वारा उक्त ज्ञापन/नोटिस का प्रत्युतर दिनांक 13.10.2020 को जिला कलेक्टर महोदय बाडमेर को प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार करते हुए मेरे विरूद्ध प्रस्तावित विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करावें। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा अपीलान्ट के कथनों को अस्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 के द्वारा प्रकरण में अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलान्ट की एक वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डात्मक आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा आरोपित आरोप के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट में ओमप्रकाश/चिमाराम उचित मूल्य दुकानदान बिशाला आगोर के निलम्बन पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उचित मूल्य दुकान की प्रस्तावित रिपोर्ट में चतुराराम /चीमाराम उचित मूल्य दुकान, बोला प्रस्तावित की गई। जिसमें चतुराराम/चीमाराम के पास कोई अतिरिक्त अटेचमेन्ट नहीं होने तथा निलम्बित दुकान व नई व्यवस्था का अस्थाई संचालन करने वाले उचित मूल्य दुकानदार के मध्य की दूरी 03 कि0मी0 की जानकारी दी गई। परन्तु उचित मूल्य दुकानदान चतुराराम/चीमाराम बोला द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की गई, इस कारण से यह अटेचमेन्ट व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, बाडमेर के द्वारा निलम्बित उचित मूल्य दुकान, विशाला आगोर के लिये पुनः अन्य विकल्प प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया, पत्र की प्रति अवलोकनार्थ है। अतः मेरे द्वारा विकल्प के तौर पर अटेचमेन्ट के लिये श्री भगाराम/पूर्णाराम उचित मूल्य

दुकान (एफपीएस) आदर्श बस्ती नाद की रिपोर्ट प्रस्तावित की गई। जिस पर जिला रसद अधिकारी बाडमेर द्वारा दोनों एफपीएस के मध्य दूरी हेतु लिखा गया। अतः मेरे द्वारा निलम्बित उचित मूल्य दुकान बिशाला आगोर एवं अटेचमेन्ट व्यवस्था हेतु प्रस्तावित नई उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) आदर्श बस्ती नाद के मध्य की दूरी 09 कि0मी0 की रिपोर्ट दी गई जो कि सही थी। उक्त यह व्यवस्था तुरन्त अस्तित्व में आगई एवं कोविड–19 महामारी के मध्यनजर राशन वितरण व्यवस्था सुरक्षित एवं सुचारू रूप से चालू कर दी गई।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि किसी एफपीएस उचित मूल्य दुकान के निलम्बन पर राशन वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने हेतु नजदीकी दूरी पर स्थित किसी अन्य दुकानकार को अस्थाई रूप से राशन वितरण हेतु उक्त व्यवस्था दी जाती है। इस व्यवस्था में अस्थाई रूप से नियुक्त अन्य डीलर दुकानदार उसी निलम्बित एफपीएस वाले स्थल/ग्राम में ही जाकर राशन वितरण करता है ना कि कोई राशन उपभोक्ता को दूसरे गांव में जाना पडता है, इससे राशन उपभोक्ता को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पडता है। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो वैकल्पिक वितरण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई थी, जिसमें मेरे द्वारा मानवीय त्रुटिवश निलम्बित एफपीएस एवं अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रस्तावित एफपीएस के मध्य की दूरी 13 कि0मी0 जगह 3 कि0मी0 लिख दी गई। परन्तु उक्त व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई जिससे ना तो किसी एफपीएस डीलर का आर्थिक नुकसान हुआ। राशन उपभोक्ताओं को भी कोई समस्य नहीं हुई एवं ना ही सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की गई।

8. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि मेरे द्वारा जानबूझकर इस प्रकार की रिपोर्ट पेश नहीं की गई है और न ही किसी आदेश की अवहेलना की गई है। मेरे कार्यक्षेत्र की बहुलता यानि बाडमेर ग्रामीण व शहर तथा अतिरिक्त कार्यक्षेत्र के रूप में गडरा रोड एवं रामसर तहसील क्षेत्र का कार्य दिया हुआ था। अतः प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय को ध्यान में रखकर सहानुभूतिपूर्वक मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा दण्डादेश को अपास्त किया जावे एवं गुणावगुण पर अपील को निर्णित किया जावें।

9. विभागीय पैरोकार ने प्रत्युतर में यह निवेदन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट को जिस आधार पर दण्डित किया गया है वो अपीलान्ट के द्वारा लिखित में की गई लिपिकिय त्रुटि के आधार पर दिया गया है क्योंकि उनके द्वारा भ्रामक एवं गलत तथ्यों वाली वस्तुस्थिति रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत की गई जो उनकी लापरवाही वाली कार्य करने की शैली को दर्शाता है अतः अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल सही है जिसे बहाल रखा जावें।

10. हमने अपीलान्ट एवं विभागीय पैरोकार के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रकट किये गये कथनों पर मनन किया तथा अपील/उपलब्ध दस्तावेजों, प्राप्त

टिप्पणी इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्ट के द्वारा जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रत्युतर में दर्शाये गये तथ्यों के अनुसार जिला रसद अधिकारी कार्यालय के द्वारा उनसे ओमप्रकाश/चिमाराम उ0मू0 दुकान बिशाला आहोर को निलम्बित किये जाने पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रस्ताव चाहा गया, तब अपीलान्ट द्वारा प्रथम तौर पर बिशाला आगोर व बोला के बीच की दूरी 03 कि0मी0 होने, दोनों के एक ही ग्राम पंचायत में होने व डीलर के पास पूर्व में अन्य अतिरिक्त उ0मू0 दुकान नहीं होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था उचित मूल्य दुकानदार बोला श्री चुतराराम/चिमाराम को दिये जाने की अनुशंषा की गई और अपने प्रस्ताव में बिशाला आगोर व बोला की दूरी जो वास्तव में 13 कि0मी0 है, के स्थान पर 03 कि0मी0 बताई गई है। अपीलान्ट के द्वारा उचित मूल्य दुकानों के मध्य उक्त दर्शाई गई दूरी 13 कि0मी0 के स्थान पर 03 कि0मी0 अंकित करने को मानवीय त्रुटि/भूलवश से अंकित कर दिया जाना बताया है।

11. प्रकरण के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट की उक्त प्रथम रिपोर्ट में दुकानों के मध्य की दर्शाई गई दूरी वाली रिपोर्ट अनुसार किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं हुआ है और उस प्रस्ताव अनुसार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई और न ही किसी अन्य दुकानदार को राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था भी दी जाना प्रतीत होता है। उनकी ओर से वैकल्पिक व्यवस्था हेतु दूसरी प्रेषित रिपोर्ट अनुसार ही अन्य राशन डीलर को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत राशन वितरण करने के निर्देश जारी हुए है। अपीलान्ट कार्मिक ने जानबूझकर लापरवाही बरती गई हो अथवा बदनियती उजागर हुई ऐसा प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर मनन करने, उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्श पर पहुंचे है कि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना उचित नहीं होगा।

12. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2021 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट की मानवीय भूल/त्रुटि होना अवश्य दर्शाता है जिसके लिये उन्हें भविष्य में राजकार्य सतर्कता व सजगतापूर्वक करने एवं तत्परता से किये जाने की चेतावनी दी जाती है। निर्णय आज दिनांक .07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर